दैनिक जागरण

दिनांक - 22-06-19

बिहार सरकार

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

जेनरेटर सेवा (वाहय्–स्त्रोत के तहत) हेतू निविदा सूचना (वर्ष 2019–20)

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, उमानगर, मुजफ्फरपुर में छात्रो के बेहतर पठन–पाठन, मशीन उपकरणों की सुरक्षा, केन्द्रीय लाइब्रेरी, मरीजों के जाँच कार्य शव परीक्षण कार्यालय, छात्र–छात्रा–छात्रावास, सभी विभाग एवं ऑडिटोरियम एवं लेक्चर थियेटर एम0ई0यू0 में सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष 2019–20 में वाहय स्त्रोत से नया जेनरेटर सेवा हेतू निबंधित संस्थाओं/एजेंसी/फार्मो से तकनिकी एवं वित्तीय निविदा कम्प्युटराईज्ड, (अनिवार्य) अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद पुनः उसे एक बडे लिफाफे में मुहरबंद कर निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा के प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर 4.30 अपराह्न तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वतः रद्द समझा जाएगा। निविदा महाविद्यालय क्रयसमिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा जमा करने के अंतिम दिन के तीन दिनों के अन्दर खोली जायेगी जिसकी सूचना कार्यालय सूचना पट्ट/कॉलेज वेबसाईट www.skmedicalcollege.org पर दे दी जायेगी। जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं। हस्तलिखित निविदा स्वीकार नही होगा। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा। किसी भी विवाद का निपटारा मुजफ्फरपुर स्थित न्यायलय में होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

PR. No. 02888 (Health) 2019-20

14 साल की बिटिया है, लगवाओ न तुम फेरे, कंधों पर बस्ता दे दो, जाएगी स्कूल सुबह–सवेरे।

प्राचार्य का कार्यालय

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

जेनरेटर सेवा(वाहय्–स्त्रोत के तहत) हेतू निविदा सूचना (वर्ष 2019–20)

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, उमानगर, मुजफ्फरपुर में छात्रो के बेहतर पठन–पाठन, मशीन उपकरणों की सुरक्षा, केन्द्रीय लाइब्रेरी, मरीजों के जाँच कार्य शव परीक्षण कार्यालय, छात्र–छात्रा–छात्रावास, सभी विभाग एवं ऑडिटोरियम एवं लेक्चर थियेटर एम0ई0यू0 में सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष 2019–20 में वाहय स्त्रोत से नया जेनरेटर सेवा हेतू निबंधित संस्थाओं/एजेसी/फार्मो से तकनिकी एवं वित्तीय निविदा कम्प्युटराईज्ड, (अनिवार्य) अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद पुनः उसे एक बडे लिफाफे में मुहरबंद कर निबंधित/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा के प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर 4.30 अपराह्न तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वतः रद्द समझा जाएगा। निविदा महाविद्यालय क्रयसमिति के समझ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में निविदा जमा करने के अंतिम दिन के तीन दिनों के अन्दर खोली जायेगी जिसकी सूचना कार्यालय सूचना पट्ट/कॉलेज वेबसाईट www.skmedicalcollege.org पर दे दी जायेगी। जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं। हस्तलिखित निविदा स्वीकार नही होगा। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार होगा। किसी भी विवाद का निपटारा मुजफ्फरपुर स्थित न्यायलय में होगा।

(क) कार्य का व्योरा :– विधुत आपूर्ति ठप/अवरूद्ध रहने पर नया जेनरेटर का परिचालन करना होगा

1. जेनरेटर कितने KVA का होगा यह निविदा स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा।
3. ध्वनि रहित जेनरेटर का संचालन करना होगा।

(ख) तकनिकी निविदा :–

1. सत्यकंर राशि प्रति जेनरेटर 50000/–(पचास हजार रूपया) मात्र का किसी रास्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0 जो प्राचार्य श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के पदनाम से/प्लेज हो सलग्न करना अनिवार्य है।
2. प्रति जेनरेटर का संचालन हेतु एक परिचालक, एक प्रशिक्षित बिजली मिस्त्री (आवश्यक) मरम्मति, ईधन, मोबिल एवं अन्य सामग्री निविदादाता को करना होगा। इस संबध में "नोटरी" के समझ शपथ लेकर शपथ पत्र की मूल प्रति या स्व–हस्ताक्षरित प्रति निविदा के साथ सलग्न होगा– (अनिवार्य)
3. तकनिकी निविदा में जेनरेटर का मेक, उसकी क्षमता एवं ईधन की खपत, कंपनी से प्राप्त कर सलग्न करना होगा। (अनिवार्य)
4. संस्थान/ऐजेंसी/फर्म का निम्नलिखित निबंधन का स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
   1. Goods and Service Tax(GST) 2. पैन नं0 3. Income Tax Return 2017-18
5. काली सूची में दर्ज नही होने का एवं किसी न्यायलय में किसी प्रकार का सिविल/क्रिमिनल केश लंबित न हो या दंडित न हुए हो, संबधी Notary Public के समक्ष लिए गये शपथ की मूल प्रति या स्व–हस्ताक्षरित प्रति (अनिवार्य)।
6. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निविदादाता को शर्त्तो के लिए एक एग्रीमेंट करना होगा एवं राज्य प्रदूषण वोर्ड से प्रदूषण रहित जेनरेटर होने प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
7. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि बिस्तार नियमानुसार किया जा सकता है।
8. जेनरेटर के संचालन संबंधि लॉग बुक नित्य प्राचार्य कार्यालय में समर्पित करना होगा ।

(ग) वित्तीय निविदा :–

1. जेनरेटर का दर परिचालक, बिजली मिस्त्री, मरम्मति, ईधन, एवं अन्य करों सहित प्रति KVA देना होगा। (सरकार द्वारा GST के दर में समय–समय पर बदलाव की स्थिति में दर में बदलाव किया जा सकेगा)
2. यह आवश्यक नही होगा की न्यूनतम दर वाले को ही स्वीकार किया जाय। क्रय समिति/प्राचार्य को गुणवत्ता के आधार पर वित्तीय निविदा अनुमोदन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्यो को नहीं करने पर द्वितीय स्वीकृत निविदादाता को प्रथम न्यूनतम अनुमोदित दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
4. किसी भी कारण से यदि किसी दिन जेनरेटर नही चलाया जाता है तब विपत्र से 2500/– रूपया प्रतिदिन काट कर ही भुगतान किया जायेगा।
5. किसी भी तरह के विवाद का निपटारा मुजफ्फरपुर स्थित न्यायलय में होगा।

18/6/19

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।